संख्या-1/2015/403/18-2-15-125(ल0उ0)/2014

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग उ0प्र0, कानपुर।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 22 मई, 2015

विषय- प्रदेश सरकार के प्रशासकीय विभागों में अम्बेसडर कार के स्थान पर किसी अन्य कार के क्रय करने के संबंध में

महोदय,

अवगत कराना है कि अम्बेसडर कार निर्माण यूनिट बन्द होने जाने के कारण प्रदेश सरकार के प्रशासकीय विभागों के उपयोगार्थ वाहन क्रय के संबंध में शासनादेश संख्या-844/18-2-15-125(ल0उ0)/2014,दिनांक 30 अक्टूबर, 2014 द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासकीय विभाग अम्बेसडर कार के स्थान पर डी0जी0एस0एण्ड डी0 की दरों पर रू0 7.00 लाख मूल्य तक के वाहन वित्त विभाग की सहमति से क्रय कर सकते हैं।

2- उपरोक्त निर्णय के आलोक में विभिन्न विभागों द्वारा यह अवगत कराया गया कि उक्त निर्धारित धनराशि प्रशासकीय वाहनों के क्रय हेतु पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त उच्च प्रशासनिक अधिकारियों यथा मण्डलायुक्त, जिलाधिकारीगण, जोन के प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक, रेन्ज के प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक तथा जनपद प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के लिए किसी वाहन का निर्धारण नहीं किया गया है।

3- अतः उक्त के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं-

(1) मण्डलायुक्त, जिलाधिकारीगण, विभागाध्यक्ष, जोन के प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक, रेन्ज के प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक तथा जनपद प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के लिए इनोवा वाहन जिसकी लागत 14.00 लाख रूपये से अनधिक होगी, वित्त विभाग की सहमति से क्रय कर सकते हैं।

तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) अन्य अधिकारियों के लिए जिन्हें पहले अम्बेसडर कार अनुमन्य थी, उन्हें रू. 7.00 लाख के स्थान पर रू. 8.50 लाख तक मूल्य के वाहन वित्त विभाग की सहमति से क्रय कर सकते हैं।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सभी संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
4- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उ0प्र0।
5- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह आगामी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं इस विज्ञप्ति की 1000 प्रतियां मुद्रित कराकर इस विभाग को उपलब्ध करायें।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अरविन्द कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।